



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/फाल्गुन 7, 1939

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/PHALGUNA 7, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2018

फा.सं. 1(42) 2011-(02)/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I).— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे के अधीन उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात, संबंधित स्तंभों में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र०सं०	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
"58.	श्री राकेश कुमार	उत्तर पूर्वी रेलवे।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III /4/ असा./446/17]

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसका अधिसूचना फा.सं.1(42)2011-(01)/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग- I), तारीख 29 सितंबर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2018

F. No. 1(42) 2011-(02)/Railways/FSSAI (Part-I).— In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officer as Food Safety Officer for the area as mentioned against his name under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
“58.	Sh. Rakesh Kumar	North Eastern Railways”.

PAWAN AGARWAL Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./446/17]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and further amended *vide* notification No. F. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 29th September, 2017.